(94)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2393—चार/2000 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—10—1991 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 522/1996—97/निगरानी

.....

पुलन्दरसिंह पुत्र तुलासिंह ठाकुर,
निवासी —ग्राम मदाखुर, तहसील व
जिला—भिण्ड (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1— कैलाश सिंह
2— जसवन्त सिंह, पुत्रगण श्री रघुवरसिंह,
3— सरमन सिंह
4— देवी सिंह, पुत्रगण श्री बिहारी सिंह,
निवासीगण— ग्राम मदाखुर, तहसील व
जिला—भिण्ड (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1
अनावेदक कमांक—2 से 4 पूर्व से एक पक्षीय है

.....

आदेश

(आज दिनांक 4-11-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31—10—2000 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि तहसील भिण्ड के ग्राम मदाखुर में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 625 रकबा 0.188 है0 तथा सर्वे क्रमांक 626 रकबा 0.469 है0 जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी बलवन्तसिंह पुत्र लायकसिंह था। अभिलिखित भूमिस्वामी की मृत्यु के

बाद विवादित पर मौरूषी काश्तकार होने के आधार पर आवेदक पुलन्दरसिंह द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 190 व 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमीदारी काल से आवेदक विवादित भूमि पर मौरूषी काश्तकार होकर काबिज चला आ रहा है अतः कानूनन भूमिस्वामी बनवन्तसिंह के बजाय अपना नाम भू–अभिलेख में बहैसियत भूमिस्वामी दर्ज कराने का अधिकारी हो चुका है। अतः भुमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्यद्ध किया जाकर इश्तहार जारी किया गया, जिस पर अनावेदक क्र0 1 कैलाश सिंह द्वारा आपत्ति पेश कर विवादित भूमि पर भूमिस्वामी बनाये जाने का अनुरोध किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रारंभ किया गया तथा दिनांक 23.04.93 को अनावेदक क्र0 1 के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का आवेदन निरस्त किया गया । इस आदेश से व्यथित होकर अनावेदक क्र0 1 कैलाश सिंह द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो स्वीकार की जाकर साक्ष्य को अंतिम अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को लौटाया गया । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर पुनः प्रकरण में उभयपक्षों के साक्ष्य लिये गये तथा समक्ष में उनको सुना गया, इसके उपरांत आवेदक को संहिता की धारा 190(2) के अनुसार भूमिस्वामी के अधिकार उद्मुत हो जाने के कारण संहिता की धारा 110 के तहत विवादित भूमि पर आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित किये जाने का आदेश दिनांक 15.04.96 को पारित किया गया । इससे परिवेदित होकर अनावेदक क्र0 1 द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष अपील पेश की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.97 से स्वीकार करते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि पूर्ण सुनवाई का अवसर दें तथा चौमेड़ा साक्ष्य लेकर एवं स्वयं मौके की जांच कर यदि अनावेदक का कब्जा पाया जाता है तो उसके नाम इन्द्राज राजस्व अभिलेख में किये जाने का आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त के न्यायालय में पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 522/96–97/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31.10.2000 द्वारा निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि पर संवत 2007 के पूर्व से आवेदक मौरूषी काश्तकार था। विवादित भूमि के भूमिस्वामी की विचारण न्यायालय

ने कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो गई । अनावेदक क्र0 1 कैलाशसिंह द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि अकेले आवेदक पुलन्दरसिंह शिकमी काश्तकार नहीं है उसे भी भूमिस्वामी बनाया जावे। विचारण न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत आवेदक पुलन्दरसिंह को भूमिस्वामी घोषित किया गया। अनावेदक क्र0 1 द्वारा अपत्ती प्रस्तुत की गई, जो निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा बिना किसी आधार के प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित कर दिया गया । आवेदक संवत 2007 से मौरूषी काश्तकार के रूप में शासकीय कागजात में दर्ज चला आ रहा है । संवत 2007 से लेकर 2045 तक की खसरा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई है । उस समय के पुराने पटवारियों के कथन कराये गये, जिन्होंने विवादित भूमि पर आवेदक का मौरूषी काश्तकार के रूप में कब्जा प्रमाणित किया । आवेदक कैलाशसिंह को साक्ष्य पेश करने का मौका दिया गया, किन्तु यह प्रमाणित नहीं कर सके कि किस आधार से शिकमी काश्तकार है । अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा अपने आदेश में लिखा गया है कि विवादित भूमि आवेदक एवं अनावेदक क्र0 1 कैलाशसिंह की पैत्रिक भूमि है अतः दोनों पक्षों को सुना जाना आवश्यक है । आवेदक के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि विवादित भूमि पैत्रिक सम्पत्ति नहीं है क्यांकि विवादित सम्पत्ति पिता/बाबा से प्राप्त नहीं हुई हे । विवादित भूमि तो तीसरे व्यक्ति से प्राप्त हुई है । विवादित भूमि शामिल खाते की भी भूमि नहीं है । इसी कारण अनावेदक क्र0 1 कैलाश सिंह हित रखने वाला पक्षकार नहीं है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा बिना अभिलेख पर एवं साक्ष्य पर विचार किये नियमों के विपरीत आदेश पारित किया गया है, जिसे स्थिर रखा जाना उचित नहीं है । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना भी प्रकरण का अवलोकन नहीं किया गया तथा आदेश पारित किया गया जो अनुचित है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार की जावे।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर ही उक्त प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि विचारण न्यायालया द्वारा खसरा में दर्ज प्रविष्टि के आधार पर आवेदक को संहिता की धारा 190, व 110 के तहत

भूमिस्वामी घोषित किया गया । अनावेदक क्र0 1 कैलाश सिंह द्वारा इस आधार पर अपील पेश की गई कि आवेदक अभिलिखित भूमिस्वामी तथा उसके पिता सगे भारी थे, आवेदक का कार्यकर्ता होने के कारण उसके द्वारा समस्त भूमि अपने समस्त भूमि अपने नाम दर्ज करा ली गई, जबकि आवेदक विवादित भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करता आ रहा है । विचारण न्यायालय द्वारा उसे सुना नहीं गया न ही साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा दोनों पक्षों को सुनने तथा प्रस्तुत अभिलेख देकरण प्रकरण में पारित आदेश द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि दोनों पक्षों को सुन लिया जावे तथा अनावेदक क्र0 1 का कब्जा हो तो विधिवत जांच कर ली जावे, और यदि कब्जा पाया जता है तो नामांतरण की कार्यवाही की जावे । प्रकरण विचारण न्यायालय को लौटाया गया । मेरे विवेकानुसार प्रकरण में जांच होना है और जांच होने के पश्चात ही प्रकरण का विनिश्य किया जाना है । जांच के समय जो तथ्य सामने आवेगें, उनके अनुसार विचारण न्यायालय आदेश पारित करेगा। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.10.2000 से अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा गया है । मैं अपर आयुक्त के इस निष्कर्ष से सहमत हूँ ।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के द्वारा पातिर आदेश दिनांक 20.04.97 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 31.10.2000 विधिसंगत होने से स्थिर रखे योग्य है । फलतः निगरानी आधारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त किया जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर